[illegible]

[illegible] हुआ। प्रार्थी वकील [illegible]। न्यायालय समय में कम-कम [illegible] लगायी गयी। [illegible] प्रार्थी वकील या स्वयं प्रार्थी [illegible] हुये। अतः प्रत्यावली सिविल [illegible] के आदेश 9 नियम 5 (वाद पत्रावली अवैध हाजरी) के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल [illegible] नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2023.08.18 11:08:33 IST
Reason: SelfAttested